कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी,
जिला–रायपुर (छत्तीसगढ़)

//आदेश//

कमांक/797/अ.जि.द./एस.डब्ल्यू./2021 रायपुर, दिनांक 28/06/2021

इस कार्यालय के आदेश कमांक 709 दिनांक 11.06.2021 सहपठित आदेश कमांक 721 दिनांक 16.06.2021 एवं आदेश कमांक 788 दिनांक 25.06.2021 द्वारा दण्ड प्रक्रिया सहिता 1973 की धारा 144, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 30, 34 सहपठित एपिडेमिक एक्ट, 1897 यथासंशोधित 2020 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये जिला रायपुर में आम जनता के आवागमन एवं अन्य सार्वजनिक गतिविधियों पर आगामी आदेश पर्यन्त युक्तियुक्त प्रतिबंध अधिरोपित किये गये हैं।

वर्तमान में कोविड–19 प्रकरणों में लगातार कमी हुई है किन्तु कोरोना वायरस के नये वेरिएन्ट का खतरा बना हुआ है, जिससें अधिरोपित प्रतिबंधों में समुचित छूट के साथ–साथ लोकहित में सार्वजनिक गतिविधियों एवं आवागमन पर युक्तियुक्त प्रतिबंध जारी रखा जाना उचित प्रतीत होता है। अतः दण्ड प्रक्रिया सहिता 1973 की धारा 144, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 30, 34 सहपठित एपिडेमिक एक्ट, 1987 यथासंशोधित 2020 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अधीन इस कार्यालय के आदेश कमांक 709 दिनांक 11.06.2021 सहपठित आदेश कमांक 721 दिनांक 16.06.2021 एवं आदेश कमांक 788 दिनांक 25.06.2021 को अधिक्रमित करते हुए मैं, **सौरभ कुमार, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला रायपुर** निम्नलिखित आदेश प्रसारित करता हूँ :–

1. **निम्नलिखित गतिविधियॉ आगामी आदेश पर्यन्त जिले में पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगी :–**
   - i. **स्कूल एवं कॉलेज विद्यार्थियों हेतु बंद रहेगें। छात्रावास में केवल परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों को आवास की अनुमति होगी। शासन से अनुमति प्राप्त समस्त परीक्षाओं एवं ऑनलाईन शिक्षा को छोड़कर सार्वजनिक रुप से संचालित कोचिंग क्लासेंस एवं अन्य समस्त शैक्षणिक गतिविधियॉ बंद रहेगी।**
   - ii. **सभी प्रकार की सभा, रैली, जुलूस, धरना, प्रदर्शन तथा सामाजिक, राजनैतिक, खेल सांस्कृतिक एवं धार्मिक आयोजन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगें।**
   - iii. **प्रतिदिन रात्रि 08.00 बजे से प्रातः 06.00 बजे तक रात्रिकालीन लॉकडाउन लागू रहेगा। जिसके दौरान इस आदेश/राज्य शासन द्वारा अनुमति प्राप्त गतिविधियों एवं आपातकालीन आवागमन को छोड़कर अन्य समस्त सार्वजनिक गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा।**
2. **कंडिका (1) अनुसार प्रतिबंधित गतिविधियों को छोड़कर अन्य सभी प्रकार की स्थायी एवं अस्थायी दुकानें, शॉपिंग मॉल, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, सुपर मार्केट/सुपर बाजार, फल एवं सब्जी मंडी/बाजार, अनाज मंडी, शो–रुम, मदिरा दुकान, ठेला, चौपाटी, सैलून, ब्यूटी–पार्लर, स्पा, पार्क, जिम व ग्रंथालय इत्यादि रविवार सहित सभी दिवस में उनके प्रचलित समय से रात्रि 08.00 बजे तक खोले जा सकेंगे**

किन्तु सभी ग्रंथालय का संचालन उनकी बैठक क्षमता के 50 प्रतिशत की सीमा के साथ तथा कोविड–19 टीके के दोनो डोज ले चुके सदस्यों को प्राथमिकता देते हुये पहले आओ, पहले पाओ के नियम अनुसार किया जा सकेगा।

3. सभी वाटर पार्क, थीम पार्क, सिनेमा हॉल/थियेटर, स्विमिंग पूल तथा सामूहिक स्थल जैसे जंगल सफारी, तेलीबांधा, बूढ़ातालाब, पुरखौती मुक्तांगन इत्यादि आम जनता हेतु उनके प्रचलित समय से अधिकतम रात्रि 08.00 बजे तक खोले जा सकेगें किन्तु सिनेमा हॉल/थियेटर का संचालन उनकी कुल क्षमता के 50 प्रतिशत व्यक्तियों के लिए ही किया जा सकेगा। संबंधित व्यवसायिक प्रतिष्ठान तथा नगरीय निकाय/विभाग इसके लिए उत्तरदायी होगें। भारत सरकार एवं राज्य शासन द्वारा समय–समय पर जारी गाईडलाईन का कड़ाई से पालन अनिवार्य होगा।

4. होटल, रेस्टोरेंट्स, रेस्टोरेंट–बार एवं क्लब रात्रि 10.00 बजे तक खुल सकेगें। आउटसाइड डाइनिंग की भी अनुमति होगी किन्तु डायनिंग हॉल/रुम में उनकी बैठक क्षमता के 50 प्रतिशत से अधिक व्यक्तियों को अनुमति नही होगी। होटल, रेस्टोरेंट्स ऑनलाइन/टेलीफोनिक ऑडर पर होम डिलीवरी तथा टेक–अवे को प्राथमिकता देगें। होटलों में इन–हाउस अतिथियों के लिए होटल किचन/स्वयं के रेस्टोरेंट्स के उपयोग की अनुमति रहेगी।

5. वैवाहिक कार्यक्रम निवास–गृह, होटल अथवा मैरिज हॉल में कोविड–19 प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन की शर्त पर आयोजित करने की अनुमति होगी। भारत सरकार, गृह मंत्रालय के आदेश कमांक 40–3/2020–डी.एम./1(ए) दिनांक 29.04.2021 अनुसार आयोजन में शामिल होने वाले व्यक्तियों की कुल अधिकतम संख्या 50 रहेगी। इसी प्रकार अंत्येष्टि, दशगात्र, इत्यादि मृत्यु संबंधी कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों की कुल अधिकतम संख्या 20 रहेगी। होटल/मैरिज हॉल में **किसी एक आयोजन के दौरान सभी पक्षों को मिलाकर मैरिज हॉल की क्षमता के 50 प्रतिशत की सीमा के अधीन अधिकतम 50 व्यक्ति ही शामिल हो सकेगें,** जिनकी सूची मैरिज हॉल संचालक द्वारा संधारित की जावेगी। आयोजन में धुमाल/ब्रास बैण्ड पार्टी होने पर इस कार्यालय के आदेश कमांक 718 दिनांक 15.06.2021 द्वारा निर्धारित शर्तो का कड़ाई से पालन करना होगा। आयोजन के दौरान मास्क धारण करना तथा फिजिकल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन अनिवार्य होगा।

6. **इस कार्यालय के आदेश कमांक 789/अ.जि.द./एस.डब्ल्यू./2021 दिनांक 25.06.2021 अनुसार मास्क, फिजिकल डिस्टेंसिंग तथा अन्य निर्धारित शर्तो के अधीन सभी पूजा/धार्मिक स्थल संचालित हो सकेगें किन्तु धार्मिक स्थल परिसर में एक समय में अधिकतम 05 व्यक्तियों को ही अनुमति होगी।**

7. छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर द्वारा जारी परिपत्र कमांक एफ 1–2/2020/1–5 दिनांक 11.06.2021 अनुसार सभी कार्यालयों में सभी श्रेणी के अधिकारियों/कर्मचारियों की शत–प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित की जावे। उप पंजीयक कार्यालय आवश्यक स्टाफ सहित पूर्ववत टोकन/ऑनलाईन सिस्टम के साथ संचालित होगें। कार्यालयों में आम जनता के प्रवेश को कोविड–19 से बचाव हेतु निर्धारित निर्देशों यथा फिजिकल डिस्टेंसिंग तथा मास्क

अनिवार्यतः धारण करने की शर्त पर शिथिल किया जाता है। सभी निजी/सार्वजनिक कार्यालय के प्रमुख कोविड–19 टीकाकरण को प्राथमिकता देगें। जिन कार्यालयों में सभी अधिकारियों/कर्मचारियों का टीकाकरण हो चुका है, वह आम जनता हेतु यह सूचना प्रदर्शित करेगें कि **"इस कार्यालय में सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को टीका लग चुका है।"**

8. सभी अस्पताल, मेडिकल दुकानें, क्लिनिक एवं पशु–चिकित्सालय को उनके निर्धारित समय में संचालन की अनुमति होगी। मेडिकल दुकान संचालक मरीजों के लिए दवाओं की होम डिलीवरी को प्राथमिकता देगें।
9. पेट्रोल पंप, गैस एजेन्सी एवं मेडिकल दुकानें पूर्ण समयावधि तक खुल सकेगें किन्तु गैस एजेंसियॉ टेलीफोनिक या ऑनलाईन ऑर्डर के माध्यम से ग्राहकों को गैस सिलेन्डरों की होम डिलीवरी को प्राथमिकता देंगी।
10. शासकीय उचित मूल्य दुकानों को खाद्य नियंत्रक, रायपुर द्वारा निर्धारित समयावधि में मास्क, फिजिकल डिस्टेंसिग, नियमित सेनिटाइजेशन एवं भीड़–भाड़ नही होने देने की शर्त का कड़ाई से पालन कराने के अधीन, टोकन व्यवस्था के साथ खोलने की अनुमति होगी।
11. सभी संचालित दुकानों/स्थापनाओं में निःशुल्क वितरण/विक्रय हेतु मास्क रखना, दुकान/स्थापना में कार्यरत कर्मचारियों एवं ग्राहको के उपयोग हेतु सेनिटाईजर रखना तथा **कोविड–19 टीकाकरण को प्राथमिकता देना अनिवार्य होगा।** जिन दुकान/स्थापना में सभी कर्मचारियों/दुकान संचालक का टीकाकरण हो चुका है, वह आम जनता हेतु यह सूचना प्रदर्शित करेगें कि **"इस दुकान/स्थापना के संचालक तथा सभी कर्मचारियों को टीका लग चुका है।"** होम डिलीवरी व्यवस्था में संलग्न सभी व्यक्तियों को नियमित अंतराल में कोविड–19 जॉच कराना आवश्यक होगा साथ ही होम डिलीवरी के दौरान मास्क धारण करना एवं फिजिकल डिस्टेंसिग का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा।
12. आम जनता को निर्देश दिया जाता है कि वे **आवश्यक होने पर ही घरो से बाहर निकलें।** सार्वजनिक स्थलों में अनिवार्य रुप से मास्क धारण करें तथा फिजिकल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखें। भीड़–भाड़ वाले क्षेत्र में दोहरे मास्क का उपयोग किया जाना अपेक्षित है। **निजी/सार्वजनिक वाहनों में यात्रा के दौरान भी मास्क व फिजिकल डिस्टेंसिंग के नियम का कड़ाई से पालन किया जावे।**
13. **प्रतिदिन रात्रि 08.00 बजे से प्रातः 06.00 बजे तक रात्रिकालीन लॉकडाउन के दौरान वैवाहिक कार्यक्रम, होटल/रेस्टोरेंट में इन हाउस डायनिंग एवं होम डिलीवरी, रेस्टोरेंट–बार, क्लब, राज्य शासन के निर्देशानुसार संचालित सेवाऍ तथा थोक माल/ वेयरहाउस/कार्गो/फल/सब्जी की लोडिंग/अन–लोडिंग की अनुमति निर्धारित समयावधि में रहेगी।**
14. छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र कमांक 488 दिनांक 23.04.2021, 489 दिनांक 28.04.2021 सहपठित परिपत्र कमांक 493 दिनांक 20.05.2021 का कड़ाई से पालन किया जाना अनिवार्य होगा जिसके अनुसार हवाई यात्रा, रेल मार्ग या सड़क मार्ग से आने वाले जिन यात्रियों के पास 96 घंटे पूर्व के भीतर की आर.टी.पी.सी.आर. जांच टेस्ट की निगेटिव रिपोर्ट होगी अथवा कोविड

वैक्सीन के दोनों डोज लगे होने का प्रमाण–पत्र होगा उन्हें ही रायपुर जिले के भीतर रेलवे स्टेशन अथवा बॉर्डर चेक पोस्ट से आगामी यात्रा हेतु अनुमति होगी। **जिन यात्रियों के पास निर्धारित समय अवधि 96 घंटे पूर्व तक की आर.टी.पी.सी.आर. जांच टेस्ट रिपोर्ट नहीं होगी उनकी कोविड टैस्ट जांच रेलवे स्टेशन/एयरपोर्ट पर की जायेगी तथा रिपोर्ट प्राप्त होने तक यात्रियों को स्वयं को होम आईसोलेशन में रखना अनिवार्य होगा।**

15. **मास्क तथा फिजिकल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन अनिवार्य होगा, उल्लंघन पर नियमानुसार अर्थदण्ड अधिरोपित किया जावेगा।** किसी दुकान/मॉल/हॉल को फिजिकल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करते हुये भीड़–भाड़ एकत्रित करने पर या राज्य शासन/इस कार्यालय द्वारा जारी निर्देशों का उल्लंघन करने पर नियमानुसार अर्थदण्ड अधिरोपित करने एवं 30 दिवस हेतु दुकान सील करने की कार्यवाही की जावेगी। साथ ही भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 188 एवं अन्य सुसंगत विधान के अधीन आपराधिक प्रकरण दर्ज कराया जावेंगा।
16. यह आदेश कार्यालय संभागीय आयुक्त, पुलिस महानिरीक्षक, कलेक्टर, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, उप पुलिस अधीक्षक (शहर/ग्रामीण/ यातायात), मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय एवं उनके अधीनस्थ समस्त कार्यालय, अनुविभागीय दण्डाधिकारी, तहसील, अस्पताल, थाना एवं पुलिस चौकी पर लागू नही होगा। इसके अतिरिक्त कानून व्यवस्था एवं स्वास्थ्य सेवा से संबंधित अधिकारी, विद्युत, पेयजल आपूर्ति एवं नगर पालिका सेवायें जिसमें सफाई, सीवरेज एवं कचरे का डिस्पोजल इत्यादि भी शामिल है तथा अग्निशमन सेवाओं के संचालन हेतु संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों को कार्यालय संचालन एवं आवागमन की अनुमति होगी।
17. राज्य शासन या इस कार्यालय के विशेष आदेश द्वारा अंनुमति प्राप्त किसी सेवा के संचालन की अनुमति होगी।

इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति/प्रतिष्ठानों पर भारतीय दण्ड सहिता 1860 की धारा 188, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51–60 तथा अन्य सुसंगत विधि अनुसार कड़ी कार्यवाही की जावेगी।

यह आदेश अल्प समयावधि में लागू किया जाना आवश्यक है। वर्तमान परिस्थितियों में इस आदेश से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों को सम्यक समय में तामीली संभव नहीं होने के कारण यह आदेश एकपक्षीय रुप से पारित किया जाता है। आदेश का व्यापक प्रचार–प्रसार तथा कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जावें।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

कलेक्टर
एवं जिला दण्डाधिकारी,
रायपुर

पृ.क्रमांक /797A/ एस. डब्ल्यू. / 2021 रायपुर, दिनांक 28/ 06 / 2021

प्रतिलिपि :–

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह (पुलिस) विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
2. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर को सादर सूचनार्थ।
3. आयुक्त, रायपुर संभाग, रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
4. पुलिस महानिरीक्षक, रायपुर रेंज, रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
5. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। **इस आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जावें। बाजार एवं भीड़–भाड़ वाले सार्वजनिक स्थलों में मास्क व फिजिकल डिस्टेंसिंग की निगरानी हेतु आवश्यकतानुसार एवं कंडिका 15 अनुसार रेलवे स्टेशन तथा एयरपोर्ट परिसर में जांच दल की सहायता हेतु समुचित पुलिस बल की ड्यूटी लगावें।**
6. आयुक्त, नगर पालिक निगम, रायपुर/बीरगांव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु। **इस आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जावें। बाजार एवं भीड़–भाड़ वाले सार्वजनिक स्थलों में मास्क व फिजिकल डिस्टेंसिंग की निगरानी हेतु दलों को सक्रिय करें तथा इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों, दुकानों एवं प्रतिष्ठानों के विरुद्ध अर्थदण्ड एवं अन्य समुचित वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित की जावें।**
7. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. सर्व इंसिडेन्ट कमान्डर, जिला रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
9. अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व) रायपुर/आरंग/अभनपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
10. सर्व अनुविभागीय दण्डाधिकारी, जिला रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
11. क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
12. सर्व तहसीलदार/कार्यपालिक दण्डाधिकारी, जिला रायपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
13. खाद्य नियंत्रक, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
14. संयुक्त संचालक, जनसंपर्क, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
15. उप पंजीयक, समस्त, जिला रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
16. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, जिला रायपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
17. सर्व मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगरीय निकाय, जिला रायपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
18. समस्त कार्यालय प्रमुख ....जिला रायपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
19. .... समस्त आम जनता, जिला रायपुर द्वारा संयुक्त संचालक, जनसम्पर्क, रायपुर को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

कलेक्टर
एवं जिला दण्डाधिकारी,
रायपुर